



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA



आरबीआई/2024-25/69

विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25

22 अगस्त 2024

सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक

महोदया / महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है।

भवदीया,

(लता विश्वनाथ)

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, नरीमन भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai 400021
बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.